पत्रांक–2प/वि2–71/2013 8939 /पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0,
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 20-12-2013

विषयः– पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में वर्ष, 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन, प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र गठन आदि के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्र संख्या–2773 दिनांक–29.11.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग के संबंध में आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष, 2011 की जनगणना के आँकड़ों का प्रकाशन कर वर्ष, 2016 का पंचायत आम निर्वाचन कराने की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

18/12/13

सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

19/12/13

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या– प0नि0 30–31/2013–2773

प्रेषक,

अहि भूषण पाण्डेय,
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त–सह–अपर सचिव।

30-10-2013

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

विषय :– **पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का गठन आदि के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1995 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया था।

2. वर्ष 2001 की जनगणना के प्रकाशन के बाद तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रांति योजना का कार्य) पंचायत राज निदेशालय के पत्रांक 2प/पं0नि0–05/2003/ग्रा0पं0/887 दिनांक 01.03.2004 (छायाप्रति संलग्न) से निर्गत दिशा–निदेश एवं बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2004 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अवधारण तथा पंचायतों का परिसीमन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को यथावत रखा गया।

3. इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 5608 दिनांक 15.10.1993 (छायाप्रति संलग्न) से निर्गत दिशा–निदेश भी अवलोकनीय हैं।

4. वर्ष 2011 की जनगणना का प्रकाशन हो गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 127 के प्रावधान को निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है :–

127. जनगणना के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का अवधारण –

" प्रत्येक जनगणना के आंकड़े के प्रकाशन के पश्चात् पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की ' का अवधारण राज्य सरकार द्वारा जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार या जायेगा।

परन्तु पूर्वोक्त संख्या के निर्धारण से पंचायत इकाई की संरचना पर तबतक कोई प्रभाव ा, जबतक कि तत्समय कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु आगे यह कि जबतक 2011 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो ब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 2001 की जनगणना पर ंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निधारण करें।

d Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax 0612-2507847 E-mail: secbihar@gmail.com

Doc. 227

15

5. पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2016 में निर्धारित है। जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना को दर्शाते हुए आरक्षण/आवंटन की प्रक्रिया आयोग द्वारा की जानी है।

6. उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अवधारण तथा पंचायतों का परिसीमन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन नये सिरे से किया जाना है या सिर्फ पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना का प्रकाशन कर वर्ष 2016 में पंचायत आम निर्वाचन की कार्रवाई की जानी है।

7. अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना से आयोग को शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

29.10.13

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त–सह–
अपर सचिव।